न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 17/2019 जिला सीकर ।

1. किशोरीलाल पुत्र मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी गोमामेडी के पास, राजेन्द्र अस्पताल के पीछे, सीकर।
2. चन्द्रशेखर पुत्र मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी गोमामेडी के पास, राजेन्द्र अस्पताल के पीछे, सीकर।
3. दुर्गा देवी पत्नि अम्बासहाय जाति गुर्जर निवासी गोमामेडी के पास, राजेन्द्र अस्पताल के पीछे, सीकर।
4. रमेश पुत्र अम्बासहाय जाति गुर्जर निवासी गोमामेडी के पास, राजेन्द्र अस्पताल के पीछे, सीकर।
5. दिनेश पुत्र अम्बासहाय जाति गुर्जर निवासी गोमामेडी के पास, राजेन्द्र अस्पताल के पीछे, सीकर।
6. सुशीला पत्नि गोविन्दसिंह जाति गुर्जर निवासी गोमामेडी के पास, राजेन्द्र अस्पताल के पीछे, सीकर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रहलादराय पुत्र हरदेवराम जाति कुमावत निवासी सालासर बस स्टेण्ड के पास सीकर।

रेस्पोडेन्ट्

2. अंजली पुत्री गोविन्द सिंह जाति गुर्जर निवासी गोमामेडी के पास, राजेन्द्र अस्पताल के पीछे, सीकर।
3. पूनम पुत्री गोविन्दसिंह जाति गुर्जर निवासी गोमामेडी के पास, राजेन्द्र अस्पताल के पीछे, सीकर।
4. वन्दना पुत्री गोविन्दसिंह जाति गुर्जर निवासी गोमामेडी के पास, राजेन्द्र अस्पताल के पीछे, सीकर।
5. तृप्ति पुत्री गोविन्दसिंह जाति गुर्जर निवासी गोमामेडी के पास, राजेन्द्र अस्पताल के पीछे, सीकर।
6. ज्योति पुत्री गोविन्दसिंह जाति गुर्जर निवासी गोमामेडी के पास, राजेन्द्र अस्पताल के पीछे, सीकर।
7. गौरव पुत्र गोविन्दसिंह जाति गुर्जर निवासी गोमामेडी के पास, राजेन्द्र अस्पताल के पीछे, सीकर।
8. उमेश पुत्र अम्बासहाय जाति गुर्जर निवासी गोमामेडी के पास, राजेन्द्र अस्पताल के पीछे, सीकर।
9. तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।
10. उपपंजीयक धोद जिला सीकर।
11. नवलकिशोर पुत्र हरदेवाराम जाति कुमावत निवासी सालासर बस स्टेण्ड के पास सीकर।
12. महावीर प्रसाद पुत्र हरेदवाराम जाति कुमावत निवासी सालासर बस स्टेण्ड के पास सीकर।

प्रारूपिक रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर दिनांक 25.03.2019 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री भगवान सहाय शर्मा।
2. वकील रेस्पोडेंट श्री श्याम बाबू पारिक

निर्णय

दिनांक–12.04.2021

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 25.03.2019 के खिलाफ दिनांक 23.04.2019 को प्रस्तुत हुई है।

Scanned by CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा शीर्षक अपील प्रहलादराय बनाम दुर्गादेवी वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2019 के द्वारा अपील को स्वीकार किया गया।
3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.03.2019 से व्यथित होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2019 निरस्त फरमाये जाने तथा तहसीलदार धोद जिला सीकर द्वारा नामान्तकरण संख्या 200 रिव्यू निर्णय दिनांक 03.06.2015 ग्राम बलरामपुरा को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि मृतक मोहनलाल की विरासत में नामान्तकरण संख्या 200 भरा गया था जिसे ग्राम पंचायत द्वारा निरस्त कर दिया गया। तदनन्तर में ग्राम पंचायत के अधिकार राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार को प्रदत कर दिये जाने से रिव्यू प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष लगाया गया। उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिनांक 03.06.2015 को नामान्तकरण संख्या 200 तस्दीक किया गया। उक्त आदेश की अपील रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकियात्मक त्रुटि के आधार पर अनुचित रूप से अपील स्वीकार कर ली गई। सर्वप्रथम तो प्रश्नाधीन नामान्तकरण विरासत का है जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 01 व्यथित व प्रभावित पक्षकार नही है। अतः उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई locus standii नही है। इसके अतिरिक्त विरासत कभी लम्बित नही रखी जा सकती है तथा तहसीलदार धोद द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक मोहनलाल की विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही रही है। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 2006 पृष्ठ 101, RRT 2008 (2) पृष्ठ 936 तथा RRD 2002 पृष्ठ 10 प्रस्तुत किये गये। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा यह भी कथन किया गया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा तथ्यो को छुपाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 47 विवादित भूमि का अपने हक में स्वीकार करवा लिया गया था परन्तु उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका था तथा नामान्तकरण संख्या 47 को भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा निरस्त किया जा चुका था। उक्त आदेश की कोई अपील नही की गई है तथा उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। इसके पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 01 का विवादित भूमि से कोई सरोकार नही रहा है फिर भी उक्त तथ्य को छुपाकर बदनियति से रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अवैधानिक रूप से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 86(2) के परन्तुक (i) से (iii) में वर्णित प्रकिया का पालन नही किये जाने के आधार पर अपील स्वीकार कर रिव्यू निर्णय दिनांक 03.06.2015 को निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2019 निरस्त कर तहसीलदार धोद जिला सीकर द्वारा नामान्तकरण संख्या 200 रिव्यू निर्णय दिनांक 03.06.2015 ग्राम बलरामपुरा को यथावत रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।
6. रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 के योग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूमि पर उनका कब्जा होना स्वीकार किया गया है जिससे वे प्रभावित पक्षकार है। ग्राम पंचायत को वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नही है। अतः उसके आधार पर स्वीकार किया गया नामान्तकरण संख्या 200 भी अवैधानिक हैं। रिव्यू प्रार्थना पत्र विपक्षी पक्षकार की सुनवाई के बगैर निस्तारित नही किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा रेस्पोडेंट को सुना नही गया है। अतः तहसीलदार द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 86(2) के परन्तुक (i) से (iii) में वर्णित प्रकिया का पालन नही किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2019 न्यायोचित है तथा अपील में कोई विधिक बल नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर
जयपुर

Scanned by CamScanner

7. अधिवक्ता रेस्पोडेंट की बहस का जवाब देते हुये अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट् संख्या 01 का कोई कब्जा काश्त नही है न ही ग्राम पंचायत को कृषि भूमि पर कब्जे के निर्धारण की कोई शक्तियां है। मृतक मोहनलाल के उत्तराधिकारिता को कोई चुनौति नही दी गई है। अतः रेस्पोडेंट् संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत तर्को में कोई विधिक बल नही है। अतः अपील स्वीकार की जाये।

8. अधिवक्ता उभपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। विवादित नामान्तकरण संख्या 200 को ग्राम पंचायत कंवरपुरा पंचायत समिति धोद जिला सीकर द्वारा दिनांक 21.05.2015 को निरस्त किया गया है। उक्त निर्णय को रिव्यू कर तहसीलदार धोद जिला सीकर द्वारा नामान्तकरण संख्या 200 को स्वीकृत किया गया है। उक्त रिव्यू निर्णय की अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर तहसीलदार धोद द्वारा पारित रिव्यू निर्णय को निरस्त किया गया है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा अपने निर्णय में उल्लेख किया गया है कि "अपीलाधीन प्रकरण में ग्राम बलरामपुरा के नामान्तकरण संख्या 200 को दिनांक 21.05.2015 को सरपंच ग्राम पंचायत कंवरपुरा के द्वारा खारिज के रूप में निरस्तारित किया गया है, जिसे दिनांक 03.06.2015 के आदेश के द्वारा तहसीलदार धोद के द्वारा रिव्यू किया गया है। हालांकि राजस्व विभाग के पत्र कमांक प. 6(1)राज–6 /2014/पार्ट–1/11 जयपुर, दिनांक 06.05.2015 के द्वारा नामान्तकरण निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम पंचायतो के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी को राजस्व लोक अदालत अभियान–2015 के दौरान प्रयोग करने हेतु दी गई थी। इस आदेश में Rajasthan Land Revenue Act. की धारा 135 की उपधारा (1) की शक्तियां प्रदत्त की गई है। रिव्यू की शक्तियां Rajasthan Land Revenue Act. की धारा 86(2) में वर्णित है, जिसके परन्तुक (i) से (iii) में वर्णित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, जबकि तहसीलदार धोद के द्वारा उक्त प्रक्रिया की पालना नही कर कानूनी त्रुटि की है। अतः विचाराधीन अपील को आंशिक रूप से कानूनी बिन्दु के संबंध में स्वीकार कर तहसीलदार धोद के रिव्यू निर्णय दिनांक 03.06.2015 को Rajasthan Land Revenue Act. 1956 की धारा 86(2) की पूर्ण पालना के अभाव में निरस्त किया जाता है। नामान्तकरण संख्या 200 दिनांक 21.05.2015 जो कि ग्राम पंचायत के द्वारा निरस्त के रूप में निर्णित किया गया है, कि अपील नियमानुसार सक्षम न्यायालय (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी) को की जा सकती है, ताकि गुणावगुण पर निर्णय हो सके।" उपर्युक्त विवेचन में विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार धोद के निर्णय को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2) के परन्तुक (i) से (iii) में वर्णित प्रक्रिया का पालन नही किये जाने के आधार पर निरस्त किया गया है। धारा 86(2) के परन्तुक (i) से (iii) में रिव्यू हेतु लागू शर्तो का उल्लेख किया गया है। उक्त प्रावधानानुसार रिव्यू हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना, प्रभावित पक्षकारो को सुना जाना एवं आवेदन निर्णय पारित होने से नब्बे दिवस की अवधि में किये जाने की शर्तो का उल्लेख है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा तहसीलदार धोद के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध में तहसीलदार धोद द्वारा पारित रिव्यू आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जहां तक प्रभावित पक्षकारो को सुने जाने का प्रश्न है, प्रश्नगत नामान्तकरण विरासत से संबंधित है तथा स्वर्गीय मोहनलाल जिनकी विरासत दर्ज की गई हैं, के वारिसो द्वारा इस संबंध में कोई आपतित नही की गई है। रेस्पोडेंट प्रहलादराय द्वारा स्वयं को मोहनलाल का वारिस होने का कोई कथन नही किया गया है न ही उनके द्वारा इस आशय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। विवादित नामान्तकरण को ग्राम पंचायत द्वारा निरस्त किये जाने के आदेश में कब्जा रेस्पोडेंट का होने का उल्लेख अवश्य किया गया है परन्तु न तो ग्राम पंचायत को निजी खातेदारी भूमि में कब्जा निर्धारण की शक्तियां प्राप्त है तथा न ही विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करते समय कब्जे को देखा जाना आवश्यक हैं। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विरासत को कभी लम्बित नही रखा जा सकता है तथा इस संबंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो में पारित सिद्धांत अक्षरशः चस्पा होते हैं। यह भी सुस्थापित विधि है कि नामान्तकरण के माध्यम से कृषि भूमि के हक अधिकारो को निर्धारण नही किया जा सकता है। रेस्पोडेंट यदि वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार रखते है तो उन्हे उक्त हको का निर्धारण नियमित वाद के माध्यम से करवाना होगा। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में नामान्तकरण को रिव्यू प्रकिया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

में रेस्पोडेंट को सुना जाना आवश्यक नही था। जहां तक रिव्यू आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि का प्रश्न है, आवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त विवेचन से हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार धोद जिला सीकर द्वारा धारा 86(2) के परन्तुक (i) से (iii) के प्रावधानो की पूर्ण पालना की गई है तथा इस संबध में प्रथम अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा ली गई आपत्ति में कोई विधिक बल निहित नही है तथा खारिज किये जाने योग्य है। परिणाम स्वरूप अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

9. अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2019 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार धोद जिला सीकर द्वारा पारित प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 200 वाके ग्राम बलरामपुरा रिव्यू निर्णय दिनांक 03.06.2015 को बहाल रखा जाता है।

10. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner